मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- 32 /आ.वि/आ.उत्सव/2016 भोपाल,दिनांक /11/2016

प्रति,

समस्त आयुक्त/ कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- आनंदकों के पंजीयन के संबंध में निर्देश।

0-0

आनंद विभाग की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वप्रेरणा से नि:शुल्क सेवा देने के लिए तैयार कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जावेगा। इन कार्यकर्ताओं को "आनंदक" कहा जावेगा। आनंदक के रूप में कार्य करने के लिये इच्छुक व्यक्ति, जिसमें शासकीय सेवक भी शामिल हैं, को अपना पंजीयन बेवसाईट www.anandsansthanmp.in पर करना होगा।

<u>आनंदक और उनसे अपेक्षाएँ</u> :-

"आनंदक" से विभाग की निम्न अपेक्षायें हैं :-

i. वह अपने अन्य सामान्य कार्य कलापों के अतिरिक्त आनंद विभाग की गतिविधियों को स्वप्रेरणा से तथा बिना किसी मानदेय के संचालन करने के लिये तैयार हो ।

ii. विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जावेगा उस पर समय पर उपस्थित होंगे तथा उसी प्रशिक्षण के अनुरूप कार्य करेंगे।

iii. राज्य आनंद संस्थान की बेवसाईट का समय समय पर अवलोकन करते रहेंगे ताकि आनंदकों के लिये प्रसारित निर्देशों से अवगत रहें।

iv. संस्थान को समय समय पर ऐसा फीड बैक देते रहेंगे जिससे उसकी गतिविधियों में निरंतर सुधार आ सके।

v. अगर उन्हें प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करने में कठिनाई का अनुभव हो तो उससे हतोत्साहित नहीं होंगे।

vi. अपने कर्तव्यों तथा विचारों से दूसरों के लिये सकारात्मक उदाहरण बनेंगे। (Be the change that you want)अर्थात दूसरों के जीवन जीने की शैली में जो परिवर्तन लाने का प्रसास करेंगे उस परिवर्तन को पहले अपने जीवन में अनुभव करेंगे ताकि वह स्वत: उदाहरण बन सके।

vii. अन्य व्यक्तियों को भी आनंद गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करेंगे।

2. पंजीकरण के दौरान आनंदक संचालित कार्यक्रम जैसे आनंद उत्सव/ आनंद सभा/ आंनदम में से किसी भी कार्यक्रम में सहभागिता का विकल्प चुन सकेंगे।

3. पंजीकृत आनंदकों में से चयनित को कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावेगा। शेष आनंदक कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले सकेंगे।

4. प्रशिक्षण के लिये उन्हें आने-जाने एवं ठहरने की व्यवस्था राज्य आनंद संस्थान द्वारा की जावेगी, परन्तु किसी भी प्रकार का मानदेय इत्यादि नहीं दिया जावेगा।

5. यदि कोई शासकीय सेवक अपने स्वयं को आनंदक के रूप में पंजीकृत करवाता है, तो उसे आनंद विभाग के कार्यक्रमों के लिये उसके कार्य को शासकीय कार्य

दिवस माना जावेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

<u>कलेक्टर से अपेक्षाएँ</u> :-

1. अधिक से अधिक आनंदकों के पंजीयन हेतु संलग्न अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रेस नोट जारी किया जाये। जिले की परिस्थितियों के अनुसार अन्य माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार किया जाये।
2. जिले में कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों की एक बैठक जिला स्तर पर आयोजित कर उन्हें आनंदकों के पंजीयन की व्यवस्था एवं आनंद विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये उनके सदस्यों को आनंदक के रूप में पंजीयन कराने हेतु आग्रह किया जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार,

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
आनंद विभाग, मंत्रालय

पृ.क्रमांक- 33 /आ.वि/आ.उत्सव/2016 भोपाल,दिनांक 18/11/2016

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
आनंद विभाग, मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप

आनंदक पंजीयन हेतु आह्वान

आनन्द विभाग अपने सभी कार्यक्रम नि:शुल्क कार्य करने वाले स्वंयसेवी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संचालित करेगा। ऐसे स्वंयसेवी कार्यकर्ता जो आनन्द विभाग के लिए कार्य करेंगे उन्हें हम आनन्दक कहेंगे। आनन्द विभाग ने अभी आनन्दोत्सव, आनन्द सभा एवं आनन्दम नाम के तीन कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आनन्द विभाग ऐसे सभी इच्छुक व्यक्तियों का आव्हान करता है जो नि:शुल्क आनन्द विभाग को सेवा देने को तैयार हैं, वे आनन्दक के रूप में पंजीयन कराएं। इस कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति आनंदक के रूप में स्वयं का पंजीयन बेवसाईट www.anandsansthanmp.in पर करा सकते हैं।

ऐसे आनंदक से संस्थान अपेक्षा करता है कि वह अपने अन्य सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त आनंद विभाग की गतिविधियों का संचालन करने के लिये तैयार हो। चुने हुए आनंदकों को आनंद विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण के दौरान आने-जाने का किराया तथा ठहरने की व्यवस्था राज्य आनंद संस्थान द्वारा की जावेगी। यदि कोई आनंदक शासकीय सेवारत हो तो प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम में भाग लेने की अवधि को ड्यूटी पर माना जावेगा। राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंदकों के लिये अपनी बेवसाईट पर समय- समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे।

आनंदक से अपेक्षा है कि संस्थान को समय समय पर ऐसा फीडबेक देते रहेंगे, जिससे संस्थान की गतिविधियों में निरंतर सुधार आ सके। वह अपने कर्तव्य तथा विचारों से दूसरों के लिये भी उदाहरण बन सके तथा अन्य व्यक्तियों को भी आनंद विभाग की गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करें।

व्यक्ति तथा समाज की भलाई एवं खुशहाली की दिशा में कार्य करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से अपेक्षा है कि वे शासन के इस अभिनव कार्यक्रम में यथायोग्य योगदान देंवे तथा अधिक से अधिक आनंदक के रूप में अपना पंजीयन करायें साथ ही अधिक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को भी इस कार्य हेतु प्रेरित करेंगे।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से शासन की मंशा है कि प्रदेश के आमजन की जीवन शैली में तथा कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आये व उनमें आपसी सौहार्द एवं विश्वास की भावना उत्पन्न की जा सके जिससे उनका जीवन आनंद और खुशी से परिपूर्ण हो सके।

कलेक्टर

जिला.............